

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 17()खा.वि./न्याय/प्रा.आ./2020

जययपुर, दिनांक 28.03.2020


जिला कलेक्टर,

समस्त, राजस्थान।

विषय:- कोविड-19 के दौरान घोषित लॉक-डाउन में आवश्यक दिशा-निर्देश।

राज्य में लॉक-डाउन के समय उपभोक्ता को सही मूल्य पर खाद्य सामग्री एवं आवश्यक वस्तु मिल सके, इसके लिए आपको निर्देशित किया जाता है कि खुदरा विक्रेताओं के द्वारा जो खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है, उसकी मूल्य सूची चस्पा करवाई जावे एवं इसकी सख्ती से पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।

इसकी पालना के लिए जिला कलेक्टर चाहे तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अपने स्तर पर आदेश जारी कर सकते हैं।


28/3/2020

(सिद्धार्थ महाजन)

शासन सचिव